संख्या:04/2018/15/सत्रह-म-2018,।।-। द(2)/2006

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 फरवरी,2018

विषय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -18/नि0शा0/2017-18 दिनांक 05-01-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 अनुपात में वित्त पोषित केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्तमान में केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत समाहित कर संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों /सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 2.00 लाख तथा अपंगता की स्थिति में रू0 1.00 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है। उक्त प्रीमियम का भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अंश सीधे फिशकोफेड को किया जाता है।

2- मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में रू0 20.34 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2,77,920 (दो लाख सतहत्तर हजार नौ सौ बीस) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त डयू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय।
2- धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- उक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशरमैंन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0+रा0) -42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या 04/2018/15(1)/सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
3- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
4- सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
7- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।